07/10 वकील पक्षकारान हाजिर। पत्रावली वास्ते
निर्णय पेश हुई संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस
प्रकार से हैं कि प्रार्थी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया
है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से 6 MP खाता सं. 28 मे
ख. नं. 40/3.163 हे० व 54/0.759 हे० कुल 3.922 हे०
भूमि खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी सं. 1 को भूमि विरासत
प्राप्त हुई है। प्रार्थी का अपने पिता व भाईयों के साथ
का हिस्सा बराबर 2 1/6 हिस्सा बनता है वर्तमान मे प्रार्थी
उक्त भूमि ख. नं. 54 कि. नं. 12 मे ढाणी बनाकर निवास
करता है घरेलू बंटवारा मे ख. नं. 54 कि. नं. 291 मे
1-19 बीघा भूमि काश्त कर रहा है मौका पर
प्रार्थी की फसल खड़ी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को
बार 2 बंटवारा कर निवेदन किया कि वे प्रार्थी के
हिस्सा की भूमि का रिकॉर्ड मे नामान्तरकरण करवा देवे
अप्रार्थी टालमटोल कर भाईयों के दबाव मे आकर
भूमि को हस्तान्तरण करने की फिराक मे है ताकि प्रार्थी को
कुछ हिस्सा नही मिले। दिनांक 24/08/2019 को अप्रार्थी
भूमि नाम करवाने से इंकार हो गये और धमकी दी
कि वह अतिशीघ्र भूमि का बेचान करेगा लेकिन प्रार्थी को
कोई हिस्सा नहीं देगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा
का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। अगर अप्रार्थी अपने
मकसद मे कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय
क्षति होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर [illegible]
अस्थाई निषेधाज्ञा पारित [illegible]
विवादित भूमि को रहन बेचान [illegible]
प्रार्थी की भूमि में बेदखल करने से दखल बाधा न करे

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर
अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिए

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:18:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अधिवक्ता हाजिर आए। जवाब अप्रार्थी सं. अन्तिम अवसर दिए जाने के बाद भी पेश नहीं करने पर दिनांक 05/04/2022 को पेश हो।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई करने एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं नामी की भूमि पर मौका की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के तथ्यों का कोई लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि का अप्रार्थी खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित जमाबंदी (पुरानी) के अनुसार भूमि जीसुख वल्द मोती कौम किरणोई खातेदार दर्ज है। अतः उक्त दस्तावेज आधार पर भूमि अप्रार्थी को विरासतन प्राप्त होना प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि वे भूमि में नामीकाश्त निवास करते हैं तथा अपने हित [illegible] काश्त है। अप्रार्थी द्वारा कोई भी लिखित [illegible] प्रस्तुत नहीं की गई है अतः [illegible] के पक्ष में है भूमि विवादित में अप्रार्थी [illegible] दर्ज है यदि भूमि का अन्य किसी को हस्तांतरण कर [illegible] जाता है तो वाद विवाद बढ़ने की संभावना है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की अधिक संभावना है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 212A स्वीकार कर न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10/06/19 को मूलवाद निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली मिसल में शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subha
Chandra
Date: 2022.10.28 11:18:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि...